5

5.1 ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

5.2 ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि

5.3 दीर्घावधि सिंचाई निधि

5.4 सूक्ष्म सिंचाई निधि

5.5 नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता

5.6 फसलोपरांत आधारभूत संरचना

5.7 अन्य आधारभूत संरचना पहलें

5.8 आगे की राह

ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और संधारणीय विकास का महत्वपूर्ण कारक ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास है. इसमें सड़कों, सिंचाई प्रणालियों, सेतु, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय संसाधनों का संचयन और आबंटन शामिल है. ग्रामीण आधारभूत संरचना में समय पर और पर्याप्त निवेश न केवल बाजारों और सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह शहरी-ग्रामीण के बीच के अंतर को पाटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराकर, नाबार्ड ऐसी स्थायी आधारभूत संरचना आस्तियों के सृजन हेतु सुविधा प्रदान करता है, जो कृषि उत्पादकता में सुधार करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और बाजारों तक पहुँच का विस्तार करने में सहायक होती हैं. इस सहयोग का उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना की कमी को दूर करना है, जिससे ग्रामीण समुदायों को सुदृढ़ता और दीर्घावधि विकास की संभावनाओं को मजबूती मिलती है. वित्तीय वर्ष 2025 तक नाबार्ड द्वारा आधारभूत संरचना वित्तपोषण के अंतर्गत ₹8.9 लाख करोड़ की संचयी मंजूरी दी गई और ₹6.8 लाख करोड़ की राशि संवितरित की गई (चित्र 5.1).

चित्र 5.1: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण भारत हेतु नाबार्ड द्वारा प्रबंधित आधारभूत संरचना निधियाँ (₹ करोड़ में)

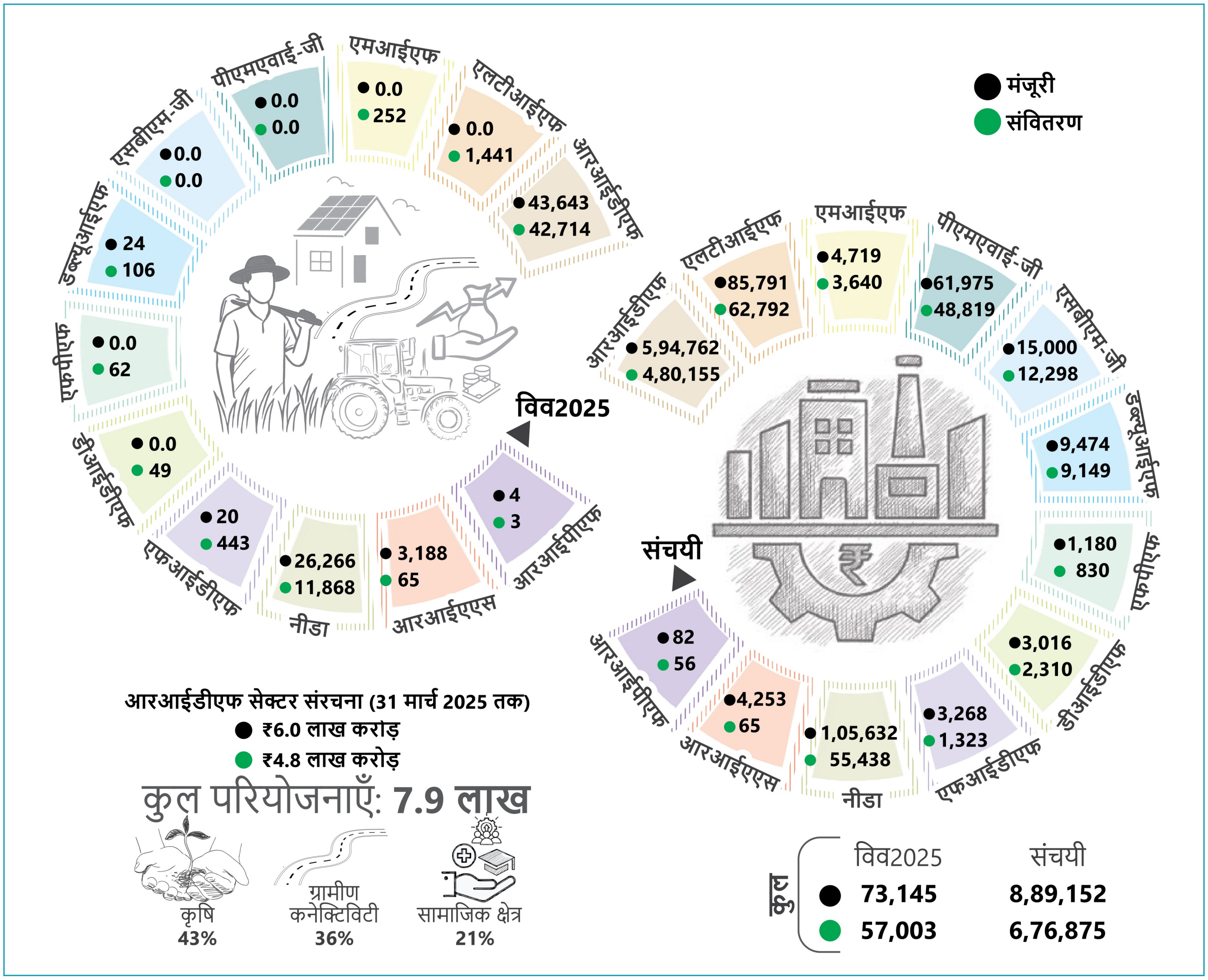

डीआईडीएफ = डेयरी संस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि, एफआईडीएफ = मत्स्य पालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि, एफपीएफ = खाद्य प्रसंस्करण निधि, एलटीआईएफ = दीर्घावधि सिंचाई निधि, एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता, पीएमएवाई-जी – प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, आरआईपीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि, एसबीएम-जी = स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण, डब्ल्यूआईएफ = भांडागार आधारभूत संरचना निधि

5.1 ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि[1]

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और पुलों, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास हेतु राज्य सरकारों और राज्य स्वामित्व वाले निगमों को वित्तपोषण प्रदान करना था. आरआईडीएफ, लक्षित निवेशों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, समावेशी विकास का संवर्धन करने, ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने और अल्पसेवित क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

5.1.1 प्रवृत्ति और पद्धति

वित्तीय वर्ष 2025 (आरआईडीएफ खेप XXX) के दौरान, नाबार्ड को आरआईडीएफ के तहत ₹35,000 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसके समक्ष कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कनेक्टिविटी से संबंधित ग्रामीण परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु ₹43,643.1 करोड़ की राशि मंजूर की गई (चित्र 5.2).

चित्र 5.2 : 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

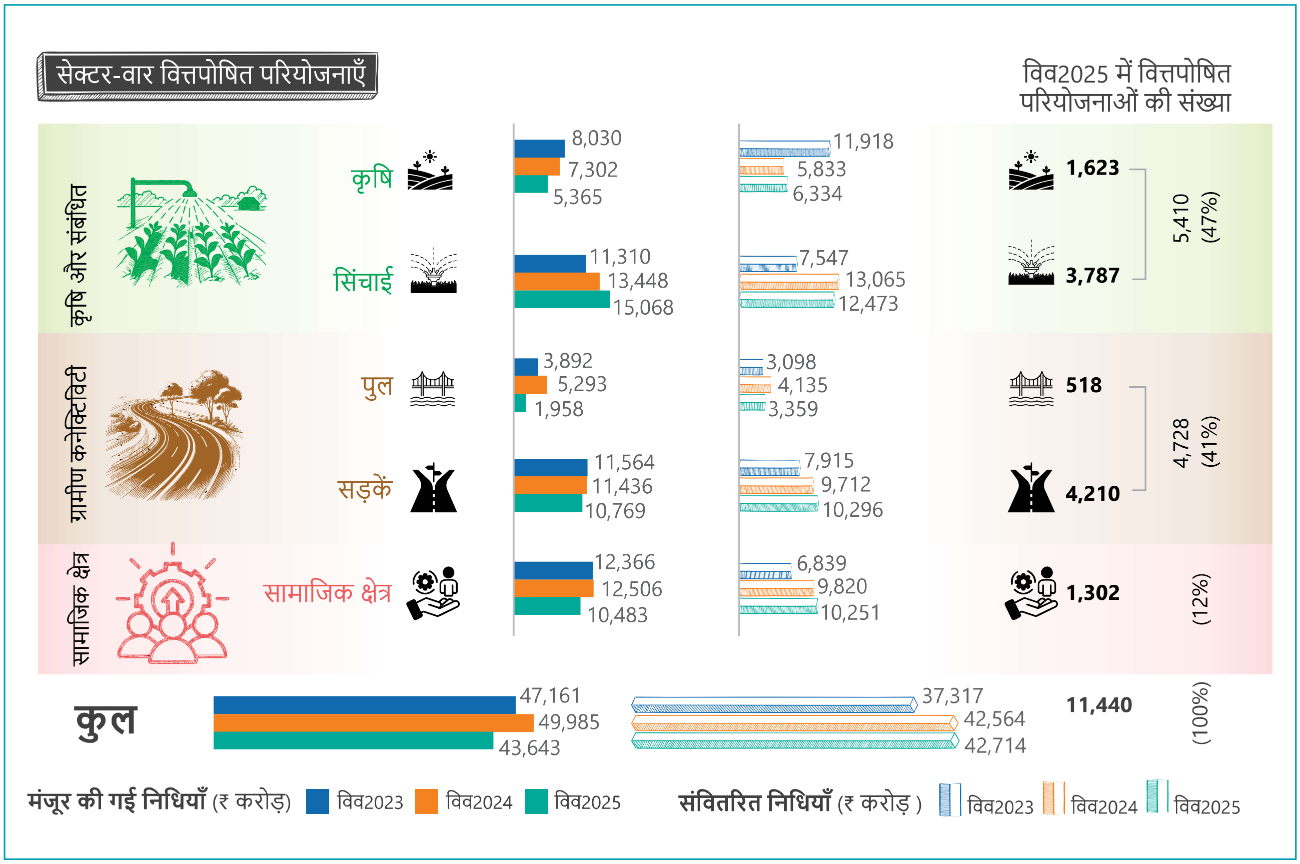

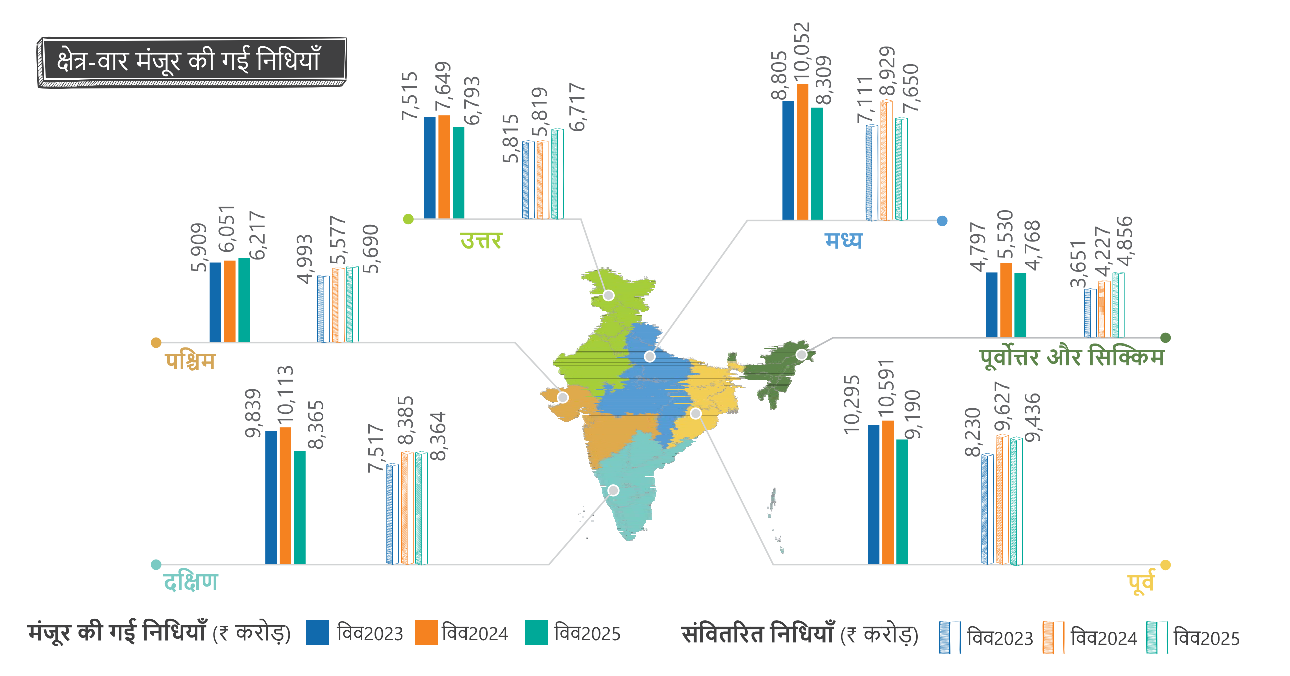

विव = वित्तीय वर्ष, आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

5.1.2 उपलब्धि >>परिणाम>> प्रभाव

आरआईडीएफ का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण आजीविका में सुधार तथा दूरस्थ और अल्पविकसित क्षेत्रों तक पहुँच कर अधिक समतामूलक विकास पथ सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. लक्षित निवेशों के माध्यम से, आरआईडीएफ अनुकूलन-क्षमता को सुदृढ़ करने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है (चित्र 5.3, शेकेस 5.1).

चित्र 5.3: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ के अंतर्गत उपलब्धियाँ और परिणाम

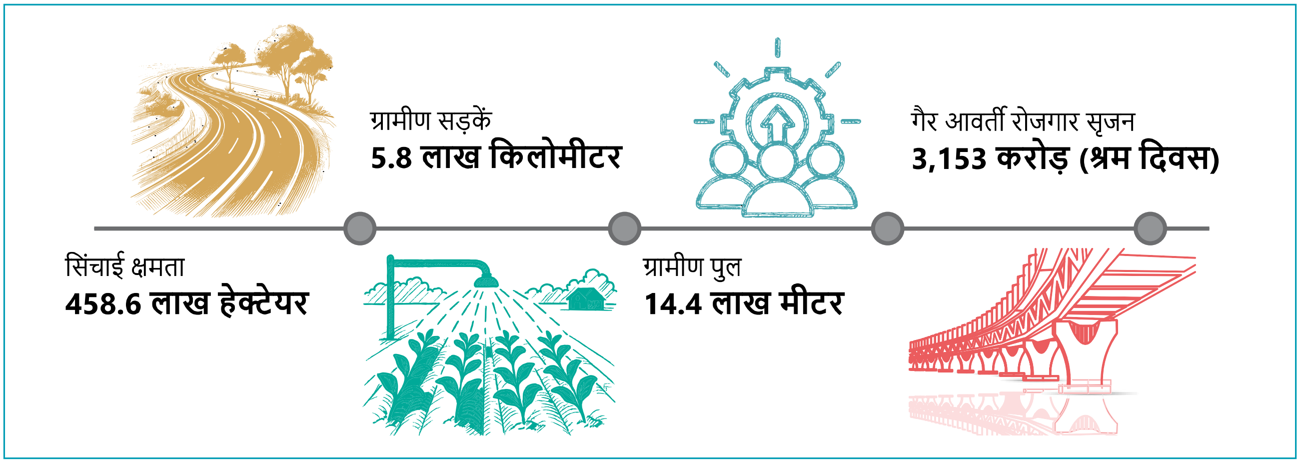

आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि.

शोकेस 5.1: तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की पहुँच सुनिश्चित करना

परियोजना: ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना, कडलूर जिला, तमिलनाडु

निष्पादक संस्था: तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज़ बोर्ड

कुल वित्तीय परिव्यय: ₹479 करोड़

आरआईडीएफ (खेप XXV) ऋण: ₹381.8 करोड़

समयसीमा: वित्तीय वर्ष 2021 में मंजूरी; वित्तीय वर्ष 2024 में पूर्ण

चुनौती

- तिट्टाकुडी नगरपालिका, पाँच नगर पंचायतें और 625 ग्रामीण बस्तियाँ भीषण जल संकट का सामना कर रही थीं. इस परियोजना ने केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नगर पंचायतों के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर (एलपीसीडी) तथा ग्रामीण बस्तियों के लिए 55 एलपीसीडी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर इस चुनौती का समाधान किया.

सहयोग

- जल स्रोत : अल्ट्रा-फ़िल्ट्रेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) की खान-II से प्राप्त उपचारित स्टॉर्मवाटर को शुद्ध किया गया
- विकसित आधारभूत संरचना
  - 22 लाख लीटर क्षमता वाला संग्रहण टैंक
  - ट्रांसमिशन मेन्स : 183.6 कि.मी
  - फिडर मेन्स : 734.4 कि.मी
  - सर्विस जलाशय: 789 यूनिट्स

प्रभाव

- लाभान्वित जनसंख्या (डिज़ाइन) : 7.9 लाख व्यक्ति (कुल जल की आवश्यकता : 39.4 मिलियन लीटर प्रति दिन [एमएलपीडी])
- निर्मित पेयजल क्षमता : 31.3 एमएलपीडी
- रोजगार सृजन: प्रति वर्ष 229 आवर्ती श्रम दिवस, संचयी रूप से 38.32 लाख अनावर्ती श्रम दिवस

कैस्केड एयरेटर; तुरिनजीकोल्लई, तमिलनाडु.

5.1.3 वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नई पहलें

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, नाबार्ड ने भारत सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के राज्य शेयर घटक हेतु सहयोग प्रदान करते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत ₹3,608.9 करोड़ तथा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम) के अंतर्गत ₹784.2 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की.

परिचालनात्मक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने हेतु, आरआईडीएफ़ (आरडबल्यूपी) पोर्टल में निम्नलिखित अपग्रेड किए गए हैं:

- प्रस्ताव प्रस्तुति और मूल्यांकन मॉड्यूल (पीएसएएम), जो एक ऋण प्रारम्भ प्रणाली है, की आरडब्ल्यूपी पर शुरुआत की गई.
- अनुप्रवर्तन, अनुपालन और प्रतिवेदन मॉड्यूल की शुरुआत कर आरंभ से अंत तक आरआईडीएफ परिचालनों के डिजिटलीकरण को उन्नत किया गया, जिससे प्रक्रियाएँ अधिक सुव्यवस्थित हुईं और हितधारकों का अनुभव बेहतर हुआ.

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने आरआईडीएफ के तहत समर्थित परियोजनाओं के लिए ग्रीन टैक्सोनॉमी नीति के अनुपालन से संबंधित परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान आधारभूत संरचना वित्तपोषण में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए नाबार्ड को एसोशिएशन ऑफ डेव्लपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन एशिया एंड पेसिफिक (एडीएफआईएपी) द्वारा सम्मानित भी किया गया.

15-17 मई 2024, नोम पेन्ह, कंबोडिया में आयोजित एडीएफ़आईएपी की 47वीं वार्षिक बैठक में नाबार्ड को सम्मानित किया गया. नाबार्ड का प्रतिनिधित्व श्री जी. एस. रावत, उप प्रबंध निदेशक; श्री एच. मनोज, महाप्रबंधक; सुश्री नाज़िया निज़ामुद्दीन, महाप्रबंधक; और सुश्री तृप्ति मिश्रा, उप महाप्रबंधक द्वारा किया गया.

5.2 ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि[2]

ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि (आरआईपीएफ), नाबार्ड द्वारा संचालित एक समर्पित निधि है जिसका उद्देश्य देशभर में ग्रामीण आधारभूत संरचना से संबंधित पहलों के संवर्धन, क्षमता निर्माण और विकास हेतु सहयोग प्रदान करना है (शोकेस 5.2). यह निधि अच्छी प्रथाओं की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने, हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने और ग्रामीण विकास हेतु संधारणीय प्रौद्योगिकी संचालित समाधान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

31 मार्च 2025 तक, आरआईपीएफ के अंतर्गत ₹82 करोड़ की संचयी मंजूरी दी गई थी जिसके समक्ष ₹55.7 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

शोकेस 5.2: केरल में संधारणीय विकास और महिला सशक्तीकरण हेतु आँगनवाड़ियों के लिए सौर ऊर्जा

परियोजना: एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत केरल में आँगनवाड़ी सं. 129 को ऊर्जा दक्षता में आधार स्तरीय प्रदर्शन मॉडल के रूप में स्थापित करना, जिसे अन्य स्थानों पर दोहराया जा सके.

निष्पादक संस्था : ऊर्जा प्रबंधन केंद्र केरल, विद्युत विभाग, केरल सरकार

परियोजना लागत

- कुल वित्तीय परिव्यय : ₹2.9 लाख
- नाबार्ड सहायता : ₹2.5 लाख

चुनौती: आँगनवाड़ी सं. 129 आदिवासी बस्ती के पास एक सुदूर क्षेत्र में स्थित थी, जहाँ ग्रिड से विद्युत आपूर्ति अस्थिर और अनियमित थी.

उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य आँगनवाड़ी केंद्र को सौर ऊर्जा से संचालित करना था ताकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो. विशेष रूप से, इसके अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना था—

- पारंपरिक चूल्हे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष इंडक्शन स्टोव का उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना;
- सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्सर्जन रहित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना;
- महत्वपूर्ण बचत प्राप्त करना; और
- स्वच्छ और दक्ष ऊर्जा के उपयोग से महिलाओं को सशक्त बनाना और खाना पकाने में लगने वाले समय को कम करना.

2-किलोवॉट क्षमता की ग्रिड-कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेइक प्रणाली; आंगनवाड़ी सं. 129, केरल.

सहयोग

- 2 किलोवाट क्षमता की ग्रिड-कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेइक प्रणाली की स्थापना
- ऊर्जा दक्ष उपकरणों की खरीद, जिसमें इलेक्ट्रिक इंडक्शन स्टोव, ऊर्जा दक्ष बर्तन, 5-स्टार-रेटेड ब्रशलेस डायरेक्ट करंट पंखे, स्टार रेटेड एलईडी ट्यूब लाइटें, इलेक्ट्रिक साइकिल, आदि शामिल हैं.
- कूल रूफिंग प्रणाली की स्थापना
- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स का प्रावधान

उपलब्धि >>परिणाम>> प्रभाव

- बिजली बिलों में कमी
- प्रदूषण स्तर और कार्बन उत्सर्जन में गिरावट
- खाना पकाने में समय की बचत, जिससे महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ
- संधारणीय विकास का संवर्धन एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग
- कूल रूफिंग के माध्यम से ऊर्जा बचत और उपभोक्ता लाभ में वृद्धि
- घरेलू वायु प्रदूषण में कमी

5.3 दीर्घावधि सिंचाई निधि[3]

दीर्घावधि सिंचाई निधि की घोषणा वित्तीय वर्ष 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों को रियायती वित्तपोषण के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने में सहायता प्रदान करना है. इस निधि की समय-सीमा को वित्तीय वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की 60 चल रही परियोजनाएँ तथा कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीबल्यूएम) की 85 परियोजनाएँ हैं. भारत सरकार द्वारा इसमें अधिकतम 2% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है (चित्र 5.4).

99 सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016-2025 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप 34.6 लाख हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता के समक्ष 26.8 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया. इसके अतिरिक्त, कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 22.2 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र का विकास किया गया है.

चित्र 5.4: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एलटीआईएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

● मंजूर (₹ करोड़ में) ● संवितरित (₹ करोड़ में)

विव2025	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार संचयी राशि	
राज्य सरकार का हिस्सा	केंद्र सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा
● **शून्य**	● **46,495.9**	● **39,294.9**
● **1,441.1**	● **26,500.6**	● **36,291.4**

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
कुल परियोजनाएँ: **99**
एआईबीपी घटक वाली पूर्ण परियोजनाएँ: **61**
सीएडीडब्ल्यूएम घटक वाली पूर्ण परियोजनाएँ: **27**

सिंचाई क्षमता संवर्धन का लक्ष्य: **34.6 लाख हेक्टेयर**
उपलब्धि (2016–2025)**: 26.8 लाख हेक्टेयर***

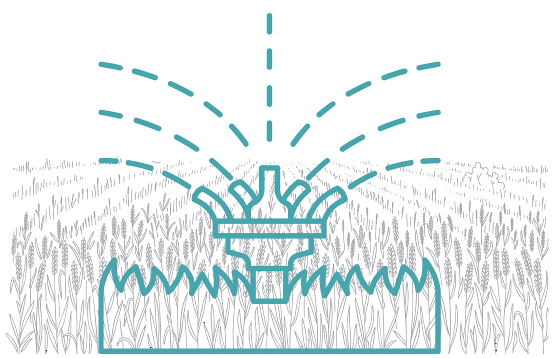

* जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार

एआईबीपी = त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, सीएडीडब्ल्यूएम = कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, एलटीआईएफ – दीर्घावधि सिंचाई निधि

5.4 सूक्ष्म सिंचाई निधि[4]

वित्तीय वर्ष 2020 में, सूक्ष्म सिंचाई निधि की स्थापना ₹5,000 करोड़ की प्रारंभिक समूह निधि के साथ नाबार्ड में की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार में राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करना है. इस निधि का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, इस निधि में अतिरिक्त ₹5,000 करोड़ की वृद्धि की गई. इस निधि में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 2% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है (चित्र 5.5).

चित्र 5.5 : 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एमआईएफ के अंतर्गत कार्य निष्पादन

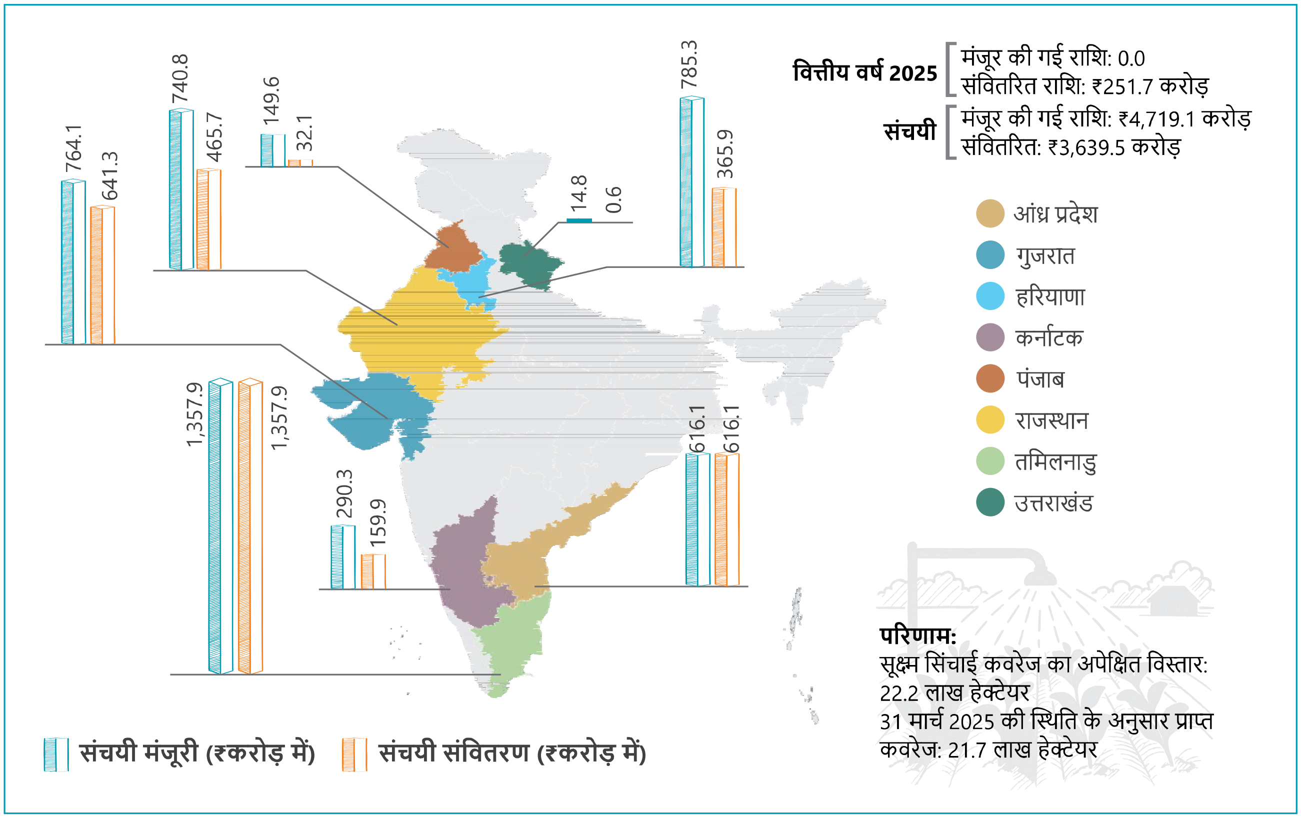

एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि.

5.5 नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता[5]

नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) राज्य सरकारों, उनकी एजेंसियों और अन्य पात्र संस्थाओं को सामाजिक और वाणिज्यिक आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत पारेषण, पेयजल और स्वच्छता तथा ग्रामीण कनेक्टिविटी सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए लचीले और दीर्घकालिक वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है (चित्र 5.6 और 5.7).

चित्र 5.6: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नीडा के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

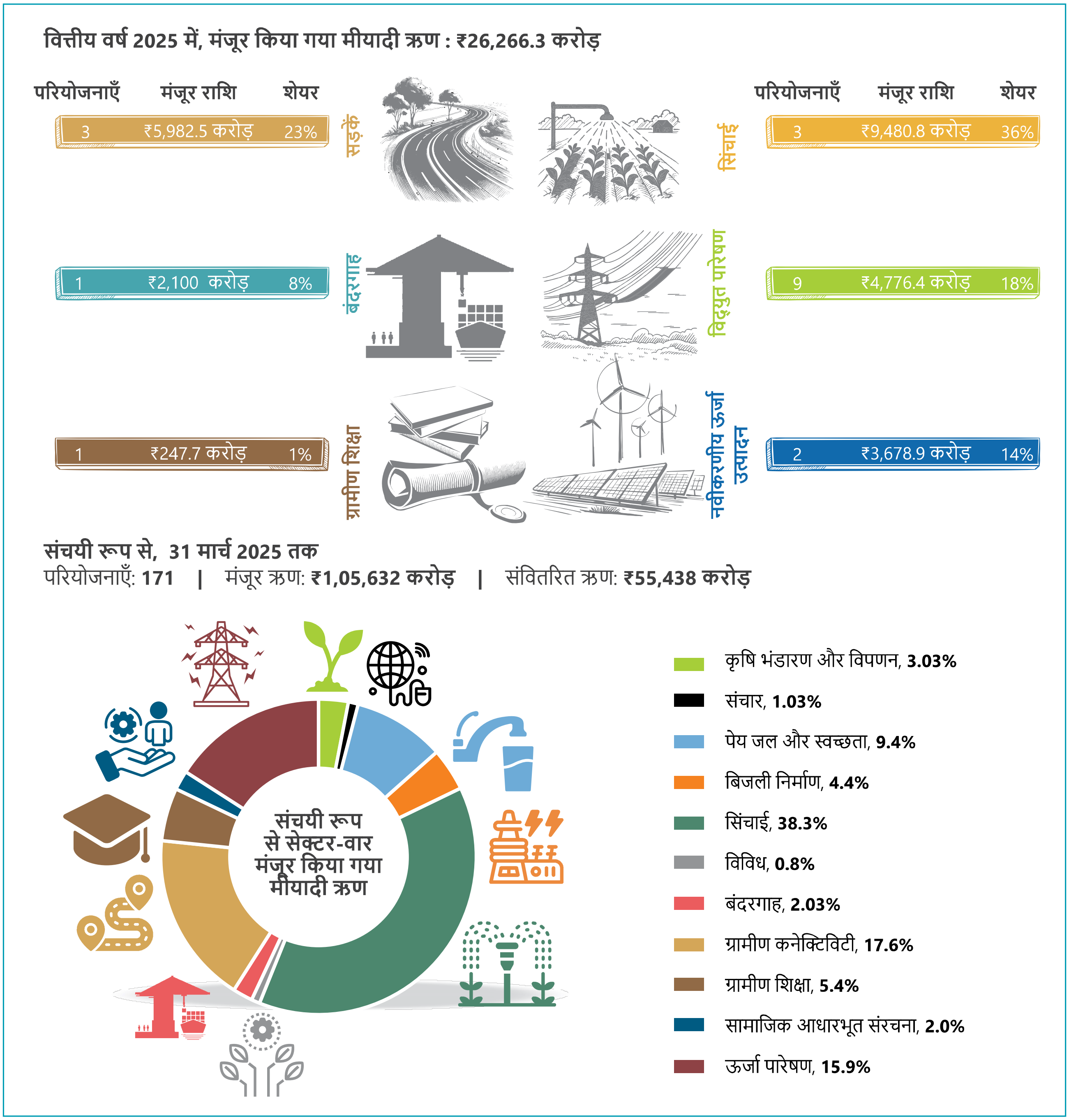

विव = वित्तीय वर्ष, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता.

नोट: विविध में सूक्ष्म सिंचाई, ग्रामीण आवास और पर्यटन सुविधाएँ शामिल हैं.

चित्र 5.7: नीडा के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के संभावित परिणाम

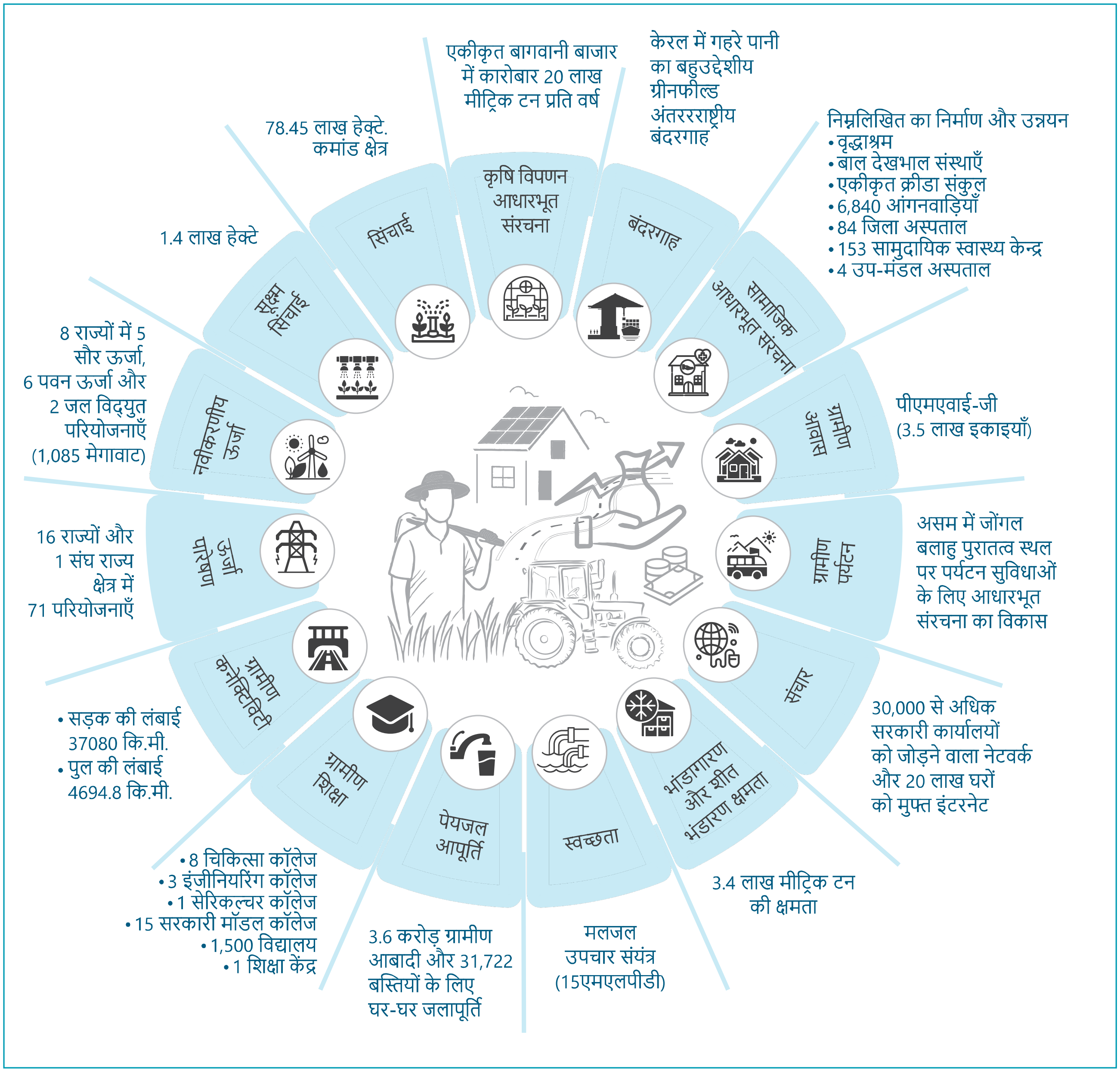

हेक्टे = हेक्टेयर, एमएलपीडी = मिलियन लीटर प्रति दिन, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता, पीएमएवाई-जी = प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, यूटी = संघ राज्य क्षेत्र

5.6 फसलोपरांत आधारभूत संरचना

नाबार्ड फसलोपरांत आधारभूत संरचनाओं जैसे भंडारागारों, शीत भांडागारों, प्रसंस्करण इकाइयों, पैकेजिंग केंद्रों आदि की स्थापना के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान करता है (चित्र 5.8–5.10).

5.6.1 भांडागार आधारभूत संरचना निधि[6]

भांडागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को गोदामों, साइलो, शीत भंडारण और अन्य शीत शृंखला

आधारभूत संरचना के विकास हेतु ऋण प्रदान करती है. भंडारण सुविधाओं को सुदृढ़ कर, डब्ल्यूआईएफ़ फ़सलोपरांत हानियों को न्यूनतम करने, किसानों की बाजार तक पहुँच सुधारने और कृषि आपूर्ति शृंखला की दक्षता बढ़ाने का उद्देश्य पूरा करती है.

चित्र 5.8: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत मंजूरी और संवितरण (₹ करोड़)

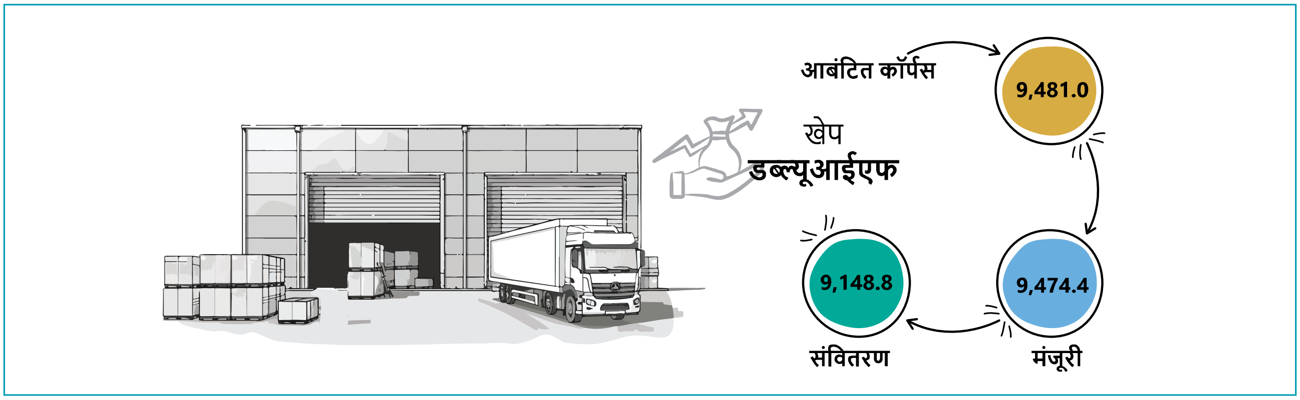

डब्ल्यूआईएफ = भांडागार आधारभूत संरचना निधि.

चित्र 5.9: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत क्षेत्र-वार कार्यनिष्पादन

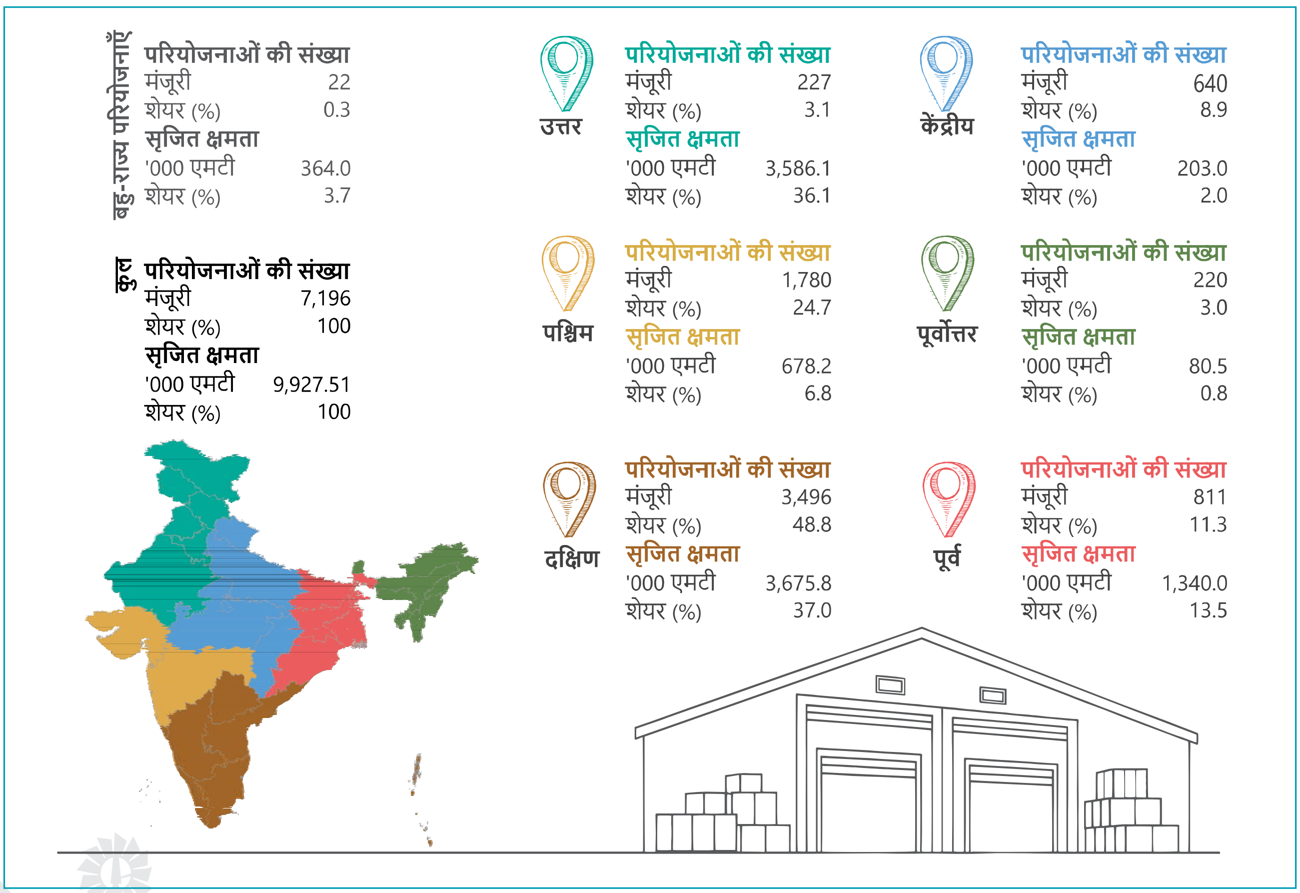

एमटी = मीट्रिक टन, डब्ल्यूआईएफ = भांडागार आधारभूत संरचना निधि.

चित्र 5.10: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भांडागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत उपलब्धियाँ

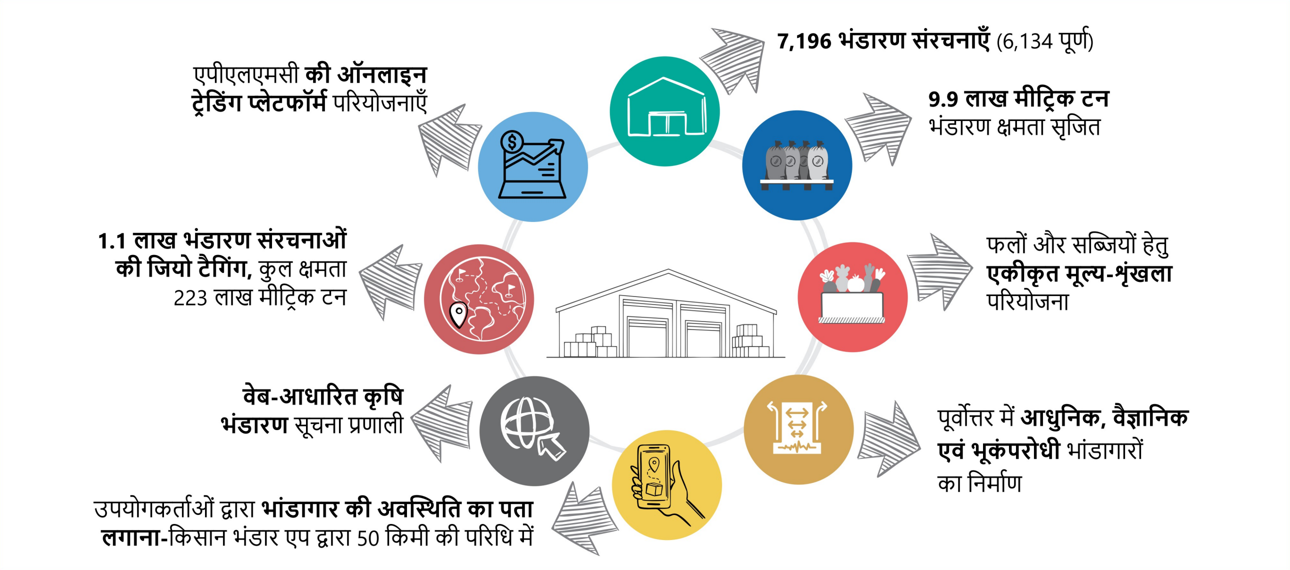

एपीएलएमसी = कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन समिति, ई-नाम = राष्ट्रीय कृषि बाजार, किमी = किलोमीटर, एमटी = मीट्रिक टन, एनईआर = पूर्वोत्तर क्षेत्र , डब्ल्यूआईएफ़ = भंडारागार आधारभूत संरचना निधि .

डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत जियो टैग की गई आधारभूत संरचनाओं से संबंधित आँकड़ों को प्रदर्शित करने हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित किया गया है. किसान भंडार ऐप, जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों डिवाइसों के लिए उपलब्ध है, किसानों, व्यापारियों और उत्पादकों को आस-पास की जियो-टैग की गई आस्तियों का पता लगाने में सक्षम बनाता है. इस ऐप और पोर्टल का एक उन्नत संस्करण, जिसे डायनेमिक किसान भंडार ऐप के नाम से जाना जाता है, शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा.

शोकेस 5.3: उत्तर प्रदेश के औरैया में ग्रामीण गोदाम आधारभूत संरचना के माध्यम से खाद्यान्न भंडारण और किसानों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि

परियोजना का नाम : एम.एस. दिबियापुर, औरैया, उत्तर प्रदेश में 5,000 मीट्रिक टन के गोदाम का निर्माण

निष्पादक संस्था : उत्तर प्रदेश राज्य भांडागारण निगम

किया गया व्यय : ₹4.6 करोड़

नाबार्ड सहायता : ₹3.2 करोड़

परियोजना पूरा करने का वर्ष : 2022

स्थान : जिला औरैया, उत्तर प्रदेश

उपलब्धियाँ

निर्मित भंडारण क्षमता : 5,000 मीट्रिक टन

जियोटैग की गई संरचनाओं की संख्या :1

लाभार्थियों की अनुमानित संख्या : 1,500–2,000 किसान

प्रभाव

- यह गोदाम खाद्यान्न के भंडारण हेतु उपयोग में लाया जा रहा है.
- इससे किसान गरजू बिक्री से बच पाते हैं और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं.
- उचित भंडारण से फ़सलोपरांत हानियाँ कम होती हैं और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उपज की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

- यह सुविधा प्रति वर्ष 5 से 7 व्यक्तियों को आवर्ती रूप से रोजगार प्रदान करने में सक्षम मानी जा रही है.
- इसके माध्यम से 10 से 15 व्यक्तियों को अनावर्ती रोजगार भी प्राप्त होने की संभावना है.
- भंडारण हेतु प्रस्तावित वस्तुओं में बाजरा, गेहूँ और चावल शामिल हैं.

खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम, राज्य भंडारण निगम, दिबियापुर; औरैया, उत्तर प्रदेश.

5.6.2 खाद्य प्रसंस्करण निधि[7]

खाद्य प्रसंस्करण निधि की स्थापना ₹2,000 करोड़ की प्रारंभिक समूह निधि के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य चिह्नित फूड पार्कों में स्थित कृषि -प्रसंस्करण इकाइयों को सुलभ ऋण सुविधा प्रदान करना है. इस पहल का उद्देश्य फसल की कटाई के उपरांत होने वाली हानियों को कम करना, मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना, तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना है.

वित्तीय वर्ष 2025 तक, नाबार्ड ने 16 राज्यों अर्थात् असम, मणिपुर और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं हेतु ₹1,179.7 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है.

चित्र 5.11: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड द्वारा समर्थित खाद्य प्रसंस्करण आधारभूत संरचना

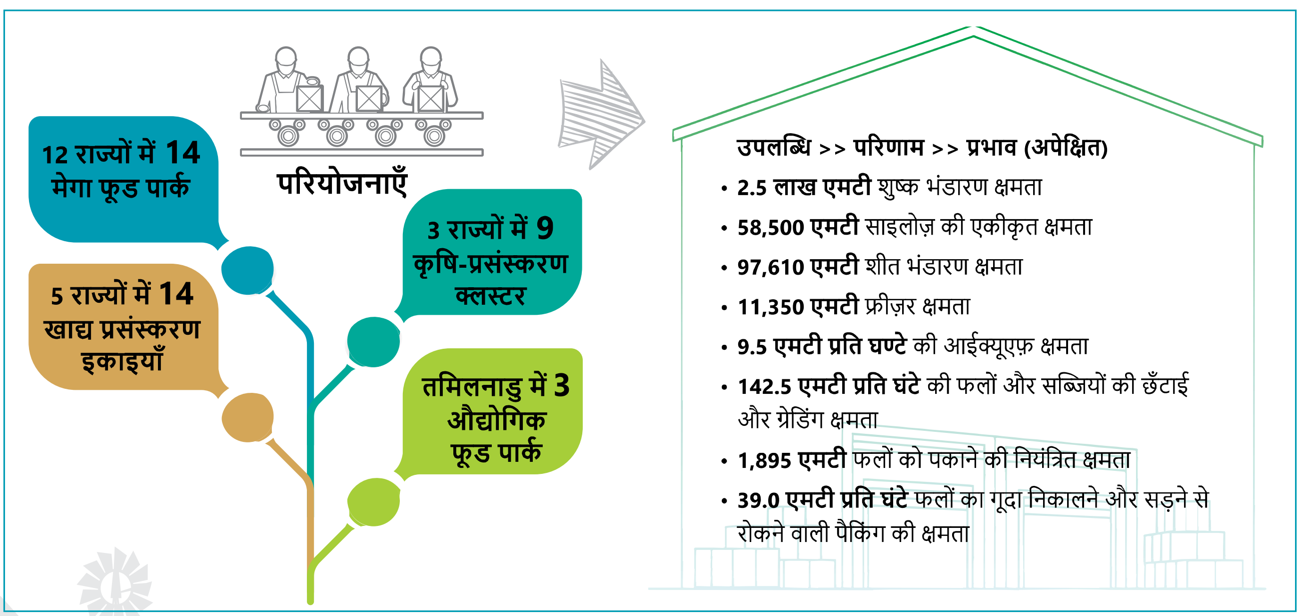

आईक्यूएफ़ = इंडिविजूअली क्विक फ्रोजन, एमटी = मीट्रिक टन.

शोकेस 5.4 :असम में आधुनिक चावल मिल की स्थापना

परियोजना : कार्यकुशलता और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी) प्रणालियों से सुसज्जित चावल मिलिंग इकाई की स्थापना

निष्पादक संस्था: धानश्री न्यूट्रियंट्स फुड्स

स्थान : नार्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क, नाथकुची गांव, तिहू ब्लॉक, नलबाड़ी जिला, असम

वित्तीय विवरण

- **कुल वित्तीय परिव्यय**: ₹2,471.5 लाख
- **नाबार्ड सहायता**: ₹1,400 लाख (13 सितंबर 2019 और 11 जनवरी 2022 को मंजूर किया गया मीयादी ऋण)
- **अनुदान सहायक**: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से ₹480 लाख
- **परियोजना पूरा करने की तिथि**: 30 जून 2022

इंस्टाल की गई क्षमता

उत्पाद का प्रकार	*प्रतिवर्ष क्षमता (मीट्रिक टन)*
धान (कच्चा माल)	39,000
चावल, चोकर, आदि (उत्पादन)	27,300
1. स्टीम्ड चावल	16,380
2. उसना चावल	10,920

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- गतिविधियों में प्री क्लीनिंग, भूसी निकालना, पॉलिश करना, ग्रेडिंग, रंग छँटाई और मिल्ड चावल की बैगिंग शामिल थी.
- 25 कुशल युवाओं को रोजगार
- प्रतिवर्ष लगभग 10,800 व्यक्ति-दिवस आवर्ती रोजगार सृजित
- 500 से अधिक किसान लाभान्वित हुए, जिनमें 200 सीधे तौर पर जुड़े
- कम परिवहन लागत और बेहतर मूल्य प्राप्ति के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि
- टीआईएचयू लेबल के तहत स्थानीय ब्रांडिंग और बाजार में उपस्थिति को बढ़ावा दिया गया.
- पूर्वोत्तर राज्यों और पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में विपणन पहुँच का विस्तार

नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क में चावल मिल, नाथकुची गाँव; नलबाड़ी, असम.

5.6.3 वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान एफपीएफ और डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत नई पहलें

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान एफपीएफ और डब्ल्यूआईएफ के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पहलें की गईं:

1. राज्य परियोजना विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को ई-किसान उपज निधि (ईकेयूएन) पोर्टल में शामिल करने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया. इस पहल का उद्देश्य किसानों को प्लेज फाइनेंस तक आसान पहुँच प्रदान करना और क्रेडिट गारंटी योजना ईएनडब्ल्यूआर प्लेज फाइनेसिंग के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है.
2. एफपीएफ और डब्ल्यूआईएफ, दोनों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की गई ताकि परिचालनों को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके.
3. डायनेमिक किसान भंडार ऐप एवं पोर्टल के उपयोग के लिए भांडागार कार्मिकों हेतु मुंबई, अलीबाग (रायगढ़ जिला) तथा लखनऊ में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

5.7 अन्य आधारभूत संरचना पहलें

5.7.1 डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि

डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना निधि (डीआईडीएफ़) की घोषणा केंद्रीय बजट 2017-18 में की गई थी, जिसका उद्देश्य दूध प्रसंस्करण संयंत्रों एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण करना और अधिक मात्रा में दूध के प्रसंस्करण हेतु अतिरिक्त आधारभूत संरचना का विकास करना और विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना था. इस योजना के तहत कुल ₹8,004 करोड़ की समूहनिधि निर्धारित की गई थी. योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि में नाबार्ड द्वारा एनडीडीबी और एनसीडीसी को ऋण प्रदान किया जाना था, जो आगे पात्र अंतिम उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं (चित्र 5.12).

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीआईडीएफ़ को पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि में शामिल करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है. इस निधि को वित्तीय वर्ष 2026 तक ₹29,110.2 करोड़ के परिव्यय के साथ आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा. विस्तारित एएचआईडीएफ़ योजना के अंतर्गत, नाबार्ड को ऋण देने वाली संस्था के रूप में शामिल किया गया है और तदनुसार नाबार्ड ने डेयरी सहकारी समितियों को ऋण देने हेतु इस योजना को संस्थागत रूप दिया है.

चित्र 5.12: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार डीआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

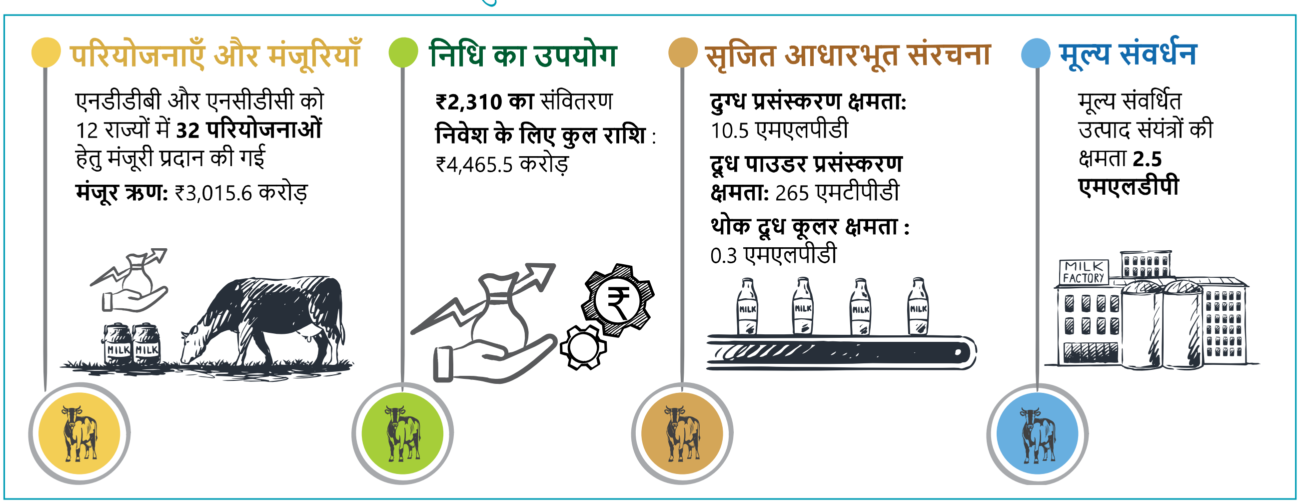

डीआईडीएफ = डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि, जीओआई = भारत सरकार, एमएलपीडी = मिलियन लीटर प्रतिदिन, एनसीडीसी = राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, एनडीडीबी = राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एमटीपीडी = मीट्रिक टन प्रतिदिन.

5.7.2 मत्स्य पालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि

मत्स्य पालन आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2018-19 में मत्स्य पालन एवं जलचर पालन आधारभूत विकास निधि (एफआईडीएफ) की शुरुआत पाँच वर्षों के लिए (विव 2019 से विव 2023) कुल ₹7,522.48 की समूह निधि के साथ की थी. इस योजना को अब अनुमोदित निधि के साथ 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है.

एफआईडीएफ के तहत, नोडल ऋणदाता संस्थाओं (एनएलई) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सहकारी समितियों और निजी उद्यमियों को 5% प्रति वर्ष से अन्यून ब्याज दरों पर रियायती ऋण प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 3% ब्याज सहायता और 2 वर्ष की स्थगन अवधि सहित 12 वर्षों की चुकौती अवधि होती है.

नैबसंरक्षण के माध्यम से पात्र एफआईडीएफ परियोजनाओं के लिए ऋण गारंटी सुविधा भी उपलब्ध है, जो पशुपालन और डेयरी विभाग की आधारभूत संरचना विकास निधि की ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत ₹12.5 करोड़ की अधिकतम सीमा तक 25% गारंटी कवर प्रदान करती है (चित्र 5.13).

चित्र 5.13: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एफआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

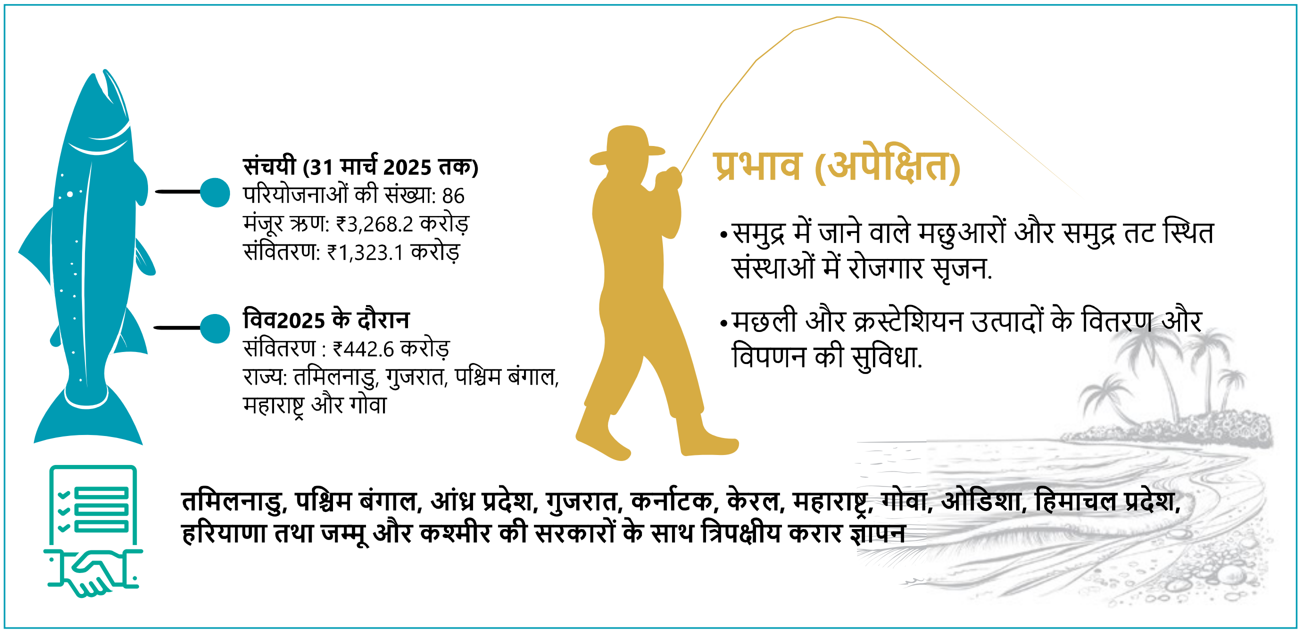

एफ़आईडीएफ = मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि.

5.7.3 राज्य सरकारों को आधारभूत संरचना सहायता

नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य सरकारों को ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता (आरआईएएस) की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों को ऐसी महत्वपूर्ण ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ाए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए.

आरआईएएस के अंतर्गत ध्यान देने वाले क्षेत्रों में पूर्व क्षेत्र के राज्य (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल), पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, आकांक्षी जिले और सीमावर्ती जिले शामिल हैं. तथापि आरआईएएस के अंतर्गत देश के सभी भागों की आधारभूत संरचना परियोजनाएँ वित्तपोषण हेतु पात्र रहेंगी, फिर भी ध्यान देने वाले क्षेत्रों के लिए ऋण राशि, मार्जिन आवश्यकता एवं मूल्य निर्धारण के संदर्भ में विभेदीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि आधारभूत संरचना विकास का संवर्धन किया जा सके.

वित्तीय वर्ष 2025 में, आरआईएएस का नवीकरण करते हुए इसमें भौगोलिक क्षेत्र के व्यापक विस्तार, कार्यक्रम आधारित वित्तपोषण, तथा एक 'क्रेडिट-प्लस' दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया. 'क्रेडिट प्लस' दृष्टिकोण के एक भाग में, नाबार्ड परियोजना या कार्यक्रम प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, तथा पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन जैसी मूल्यवर्धित सेवाएँ प्रदान कर सकता है.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, छत्तीसगढ़, केरल और राजस्थान (आकांक्षी जिला : बाराँ) की राज्य सरकारों को सिंचाई, किफायती आवास, कृषि, तथा जलवायु स्थिरता से संबंधित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ₹3,187.5 करोड़ के मीयादी ऋण को मंजूरी दी गई. 31 मार्च 2025 तक, आरआईएएस के अंतर्गत कुल ₹65.2 करोड़ की राशि का संवितरण हुआ.

5.8 आगे की राह

ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण अब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की सतत रूप से बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए ताकि संधारणीयता, समावेशिता और अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित की जा सके. आगे बढ़ते हुए, नाबार्ड जलवायु अनुकूल और हरित आधारभूत संरचना परियोजनाओं में अपनी भागीदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, तथा योजना निर्माण से लेकर वित्तपोषण तक की समस्त प्रक्रियाओं में संधारणीयता को एकीकृत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है.

नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में निजी एवं संस्थागत निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु ब्लेंडेड फाइनेंस और इम्पैक्ट बॉन्ड्स जैसे नवोन्मेषी वित्तीय मॉडलों को अपनाते हुए सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा. समावेशी और विकेंद्रीकृत विकास के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थाओं के साथ साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाना नितांत आवश्यक रहेगा.

इसके अतिरिक्त, दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय आधारित और विकेंद्रीकृत आधारभूत संरचना के लिए ऋण तक पहुँच का विस्तार समावेशी ग्रामीण परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा. एक रणनीतिक, समन्वित और नवोन्मेष-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास समानता-आधारित आर्थिक वृद्धि और ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रभावी उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है.

नोट

1. https://www.nabard.org/content1.aspx?id=573&catid=8&mid=8.
2. https://www.nabard.org/auth/writereaddata/File/Rural%20Infrastructure%20Promotion%20Fund%20(RIPF).pdf.
3. https://www.nabard.org/content1.aspx?id=655&catid=8&mid=8
4. https://www.nabard.org/content1.aspx?id=1720&catid=8&mid=8.
5. https://www.nabard.org/content1.aspx?id=2800&catid=8&mid=8
6. https://www.nabard.org/content1.aspx?id=571&catid=8&mid=8.
7. https://www.nabard.org/content.aspx?id=570.